## न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म०प्र०) <u>(समक्ष-ज्ञानेन्द्र कूमार शुक्ला)</u>

Filling no. RCS-A/234/2018 CNR no. MP30010019252018 सिविल वाद क्रमांक 51 ए/2018 <u>संस्थित दिनांक :-31 / 03 / 2018</u>

1. सुनील कुमार यादव पुत्र डिल्लीराम, उम्र–20 वर्ष,

2. रतीराम यादव पुत्र सालिगराम सिंह यादव, उम्र–35 वर्ष, दोनों निवासी–ग्राम सेवा का पुरा, .....वादीगण / आवेदकगण थाना—देहात, जिला—भिण्ड (म०प्र०)

### <u>//बनाम//</u>

1. पवन यादव पुत्र बालकराम यादव, उम्र–40 वर्ष, निवासी-ग्राम सेवा का पुरा, थाना-देहात, जिला-भिण्ड (म०प्र०) .....असल प्रतिवादी / अनावेदक 2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, .... तरतीबी प्रतिवादी जिला–भिण्ड (म०प्र०)

वादीगण द्वारा अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा श्री मुकेश बिहारी दीक्षित अधिवक्ता। प्रतिवादी क्रमांक 2 अनिवंहित।

## <u>//आदेश//</u> ( आज दिनांक 02.05.2018 को घोषित )

- इस आदेश से वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 आई0ए0 नंबर 1/18 का निराकरण किया जा रहा है।
- इस मामले में ग्राम कुरथरा, तहसील व जिला भिण्ड स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1158 व 1159 (एतस्मिन् पश्चात् "विवादित भूमियाँ" से निर्दिष्ट) पर स्थायी निषेधाज्ञा का विवाद है।
- आवेदन संक्षेप में यह है कि वादीगण के मकान के सामने स्थित विवादित भूमियाँ म0प्र0 शासन के स्वत्व की ग्राम आबादी की भूमियों है, जिसका उपयोग

वादीगण व गांव के बच्चों द्वारा खेलने आदि के लिये किया जाता है। प्रतिवादी कमांक 1 ने दिनांक 14.01.2018 को निर्माण सामग्री एकत्र कर विवादित भूमि पर निर्माण प्रारम्भ कर दिया, वादीगण ने मना किया प्रतिवादी क्रमांक 1 झगड़ा करने लगा और धमकी दी कि निर्माण कार्य रोका तो जाने से मार देगा। इस पर वादीगण ने एस०डी०एम० भिण्ड के न्यायालय में धारा 133 द०प्र०सं० का आवेदन पेश किया, स्थगन आदेश भी पारित किया गया परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 1 धमकी दे रहा है कि वह फैसला अपने पक्ष में करा लेगा और एस0डी0एम0 भिण्ड भी वादीगण को सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये बिना राजस्व निरीक्षक के गलत प्रतिवेदन के आधार पर वादीगण का परिवाद निरस्त करना चाहते हैं। वादीगण ने राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट यह आपत्ति की कि वरिष्ठ अधिकारी से सीमांकन कराया जाये, किन्तू उक्त आपित्ति पर विचार नहीं किया गया और वादीगण व अन्य के उपयोग की शासकीय भिमयों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 जबरन निर्माण करना चाहता है। उक्त तथ्यों के आधार पर निषेधाज्ञा हेत् वाद संस्थित किया गया है, प्रथम दृष्ट्या मामला वादीगण के पक्ष में है और विवादित भूमियों पर निर्माण हो जाने से वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अविदन स्वीकार कर वाद के लम्बनकाल तक प्रतिवादी क्रमांक 1 को निषेधित किया जाये कि विवादित भूमियों के किसी भाग पर निर्माण न करे और न ही कराये।

प्रतिवादी क्रमांक 1 का जवाब यह है कि वादीगण व अन्य ग्राम वासियों के 4. मकान विवादित शासकीय भूमियों सर्वे कमांक 1158 व 1159 पर बने हैं, पूर्व दिशा में स्थित 10 फीट चौड़े रास्ते पर वादीगण ने चबूतरा बना रखा है और उसके बाद क्ंआ से लगी हुई भूमि सर्वे क्रमांक 1178 स्थित है जिसकी सीमा कुंआ से लेकर हैण्डपम्प तक है। विवादित भूमि पर निर्माण नहीं किया गया है, बल्क प्रतिवादी क्रमांक 1 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2008 द्वारा कालीचरण से क्रय की गई भूमि सर्वे कमांक 1178 क्षेत्रफल 0.07 हेक्टेयर पर निर्माण किया है और राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर वादीगण द्वारा संस्थित धारा 133 द०प्र०सं० का आवेदन एस0डी0एम0 के आदेश दिनांक 21.02.2018 से निरस्त किया जा चुका है। मौके पर राजस्व निरीक्षक की जांच में प्रतिवादी क्रमांक 1 का निर्माण उसके अपने स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 1178 पर पाया गया है, विवादित भूमि पर वादीगण का कोई स्वत्व या कब्जा नहीं है और झुटे एवं मनगढ़त तथ्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति को छिपाते ह्ये वाद संस्थित किया गया है। वादीगण के पक्ष में कोई मामला नहीं है और अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाये।

#### आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि:-**5.**

- क्या प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है ? 1.
- क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ? 2.
- क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किए जाने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभाव्य है ?

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

# विचारणीय बिन्दु कमांक 1 से उट्टे

- 6. वादपत्र के अभिवचन के अनुसार ही विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1158 व 1159 पर वादीगण का स्वत्व नहीं है, बल्कि उक्त भूमियां मध्य प्रदेश शासन के स्वत्व की भूमि है और राजस्व अभिलेखों में ही शासकीय भूमि दर्ज है। विवादित भूमियों पर वादीगण के हित के संबंध में वादपत्र में यह अभिवचन है कि वादीगण एवं गांव के बच्चों के द्वारा खेलने—कूदने आदि के लिये विवादित भूमियों का उपयोग किया जाता है, यद्यपि कि वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा में भूमि सर्वे क्रमांक 1158 व 1159 पर आवेदकगण (वादीगण) का छप्पर दर्शाया गया है परन्तु सम्पूर्ण वादपत्र में इस सुसंगत तथ्य का कोई अभिवचन नहीं है कि विवादित भूमियों पर वादीगण का छप्पर है और विवादित भूमियों पर वादीगण का कष्णर है और
- 7. वादीगण के पक्ष में विद्यमान बाध्यता या अधिकार के उल्लंघन के संबंध में ही स्थाई या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस मामले में वादीगण यह दर्शित नहीं करे सके है कि विवादित भूमियों पर वादीगण का स्वत्व या कब्जा है और वादीगण के पक्ष में बाध्यता या अधिकार का अस्तित्व प्रथम दृष्ट्या भी प्रकट नहीं है।
- 8. उभयपक्ष के बीच धारा 133 द0प्र0सं० की कार्यवाही में राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में इस तथ्य का स्पष्ट रुप से उल्लेख है कि मौके पर विवादित स्थल सर्वे क्रमांक 1178 का भाग है और भूमि सर्वे क्रमांक 1178 प्रतिवादी क्रमांक 1 के स्वत्व व कब्जे की भूमि है।
- 9. यह तथ्य साक्ष्य का विषय है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 का निर्माण उसके स्वत्व व कब्जे की भूमि सर्वे क्रमांक 1178 पर है या मध्य प्रदेश शासन के स्वत्व भूमि सर्वे क्रमांक 1158, 1159 पर है। इस मामले में विवादित भूमियों पर भूमिस्वामी के रूप में मध्य प्रदेश शासन का नाम दर्ज है, वादपत्र के अभिवचन से भी विवादित भूमियों वादीगण का वास्तवविक भौतिक कब्जा प्रकट नहीं है और वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला भी प्रकट नहीं है।
- 10. राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 का निर्माण भूमि सर्वे क्रमांक 1178 पर है। प्रतिवादी क्रमांक 1 की ओर से प्रस्तुत रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.06.2008 से यह तथ्य प्रकट है कि है भूमि सर्वे क्रमांक 1178 पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का स्वत्व है और विवादित भूमियों पर वादीगण का स्वत्व या अनन्य कब्जा प्रकट नहीं होने से वादीगण को कोई अपूर्णनीय क्षति भी नहीं होती है। ऐसी दशा में स्विधा का संतुलन भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पक्ष में नहीं है।

## Filling no. RCS-A/234/2018 // 4// <u>सिविल वाद क्रमांक 51 ए / 2018</u>

11. उक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं पूर्वगामी कारणों से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु वादीगण के पक्ष में नहीं हैं, अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन आई०ए० नंबर 1/18 स्वीकारयोग्य न होने से खारिज किया जाता है। इस आदेश का मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) (ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश वर्ग—2 भिण्ड (म0प्र0)

ALLEN STATE OF SUNT TO SEASON SUNT T